Part-I
A

न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) मामलात), चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – कमल सोनी, (RJS)
निर्णय – 19–06–2026
सेशन प्रकरण संख्या – 201/2023
सीएनआर संख्या – RJCH010019952023
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 68/2023 पी.एस. सिद्धमुख)

Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री अशोक नागर, योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक
ACCUSED	पूजा पत्नी नरेश कुमार निवासी भगेला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला–चूरू (राज.)
REPRESENTED BY	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

B

Date of Offence	23–05–2023
Date of FIR	23–05–2023
Date of Chargesheet	15–12–2023
Date of Framing of Charges	03–04–2024
Date of commencement of evidence	11–02–2023
Date on which judgment is reserved	19–06–2026
Date of the Judgement	19–06–2026
Date of the Sentencing Order, if any	

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	पूजा	19–07–2023	19–07–2023	धारा 323, 341 IPC एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act	दोषमुक्त किया गया	––	––

Authenticate Document

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	राजेन्द्र	अनुसंधान साक्षी
PW.2	सुविता	मुस्तगीसा
PW.3	रोशनी	घटना बाबत/पीड़िता

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी – 1	बयान धारा 161 सीआरपीसी राजेन्द्र
2	प्रदर्श पी – 2	लिखित रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी – 3	चाक एफ.आई.आर
4	प्रदर्श पी–4	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी–5	कार्बन प्रति बयान धारा 164 सीआरपीसी सुविता
6	प्रदर्श पी–6	जाति प्रमाण पत्र सुविता

Authenticate Document

7	प्रदर्श पी–7	बयान धारा 161 सीआरपीसी रोशनी

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

निर्णय

दिनांक –19–06–2026

1– अभियोजन कहानी के अनुसार इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23–05–2023 को परिवादिया सुविता ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की वह सुबह करीब 7:00 बजे अपनी सांस के साथ अपने प्लॉट में कुड़ा कचरा गैरने के लिए गये हुए थे, जहां पर बुरी नियत से नरेश, जो कि उसके ही गांव का है, ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब उसने शौर मचाया तो उसकी सांस रोशनी बीच बचाव करने के लिए आयी तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे और जातिसूचक गाली गलौच करने लगे। शौर सुनकर नरेश की पत्नी पूजा आई और उसे नायकणी, ढेडनी, चूड़ी आदि की जातिसूचक गालियां देकर कहा कि तू तो किराये की रंडी है, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और राजेश को वे कभी भी मास्टर नहीं लगने देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे उन्हें अपनी इज़्ज़त भी दांव पर लगानी पड़े। नरेश ने उसके कपड़े फाड़ दिये और उसे धमकी दी कि उसे घर से उठा लेंगे, वगैरह–वगैरह।

2– उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिद्धमुख द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68/2023 अपराध अन्तर्गत 341, 323, 354, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)

Authenticate Document

(va) एससी/एसटी एक्ट में इस न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त पूजा के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3– बहस चार्ज सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो उसने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4– अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में पी.डब्ल्यू.1 राजेन्द्र, पी.ड.2 सुविता व पी.ड.3 रोशनी को परीक्षित करवाया और प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी.7 के रूप में विभिन्न दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाये।

5– दौराने अन्वींक्षा परिवादिया सुविता आहता रोशनी देवी ने अभियुक्त पूजा के साथ धारा 341, 323 भा.दं.सं. में राजीनामा न्यायालय में पेश किया, जो बाद जांच धारा 341, 323 भा.दं.सं. में तस्दीक किया गया।

6– अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0सं0 में परीक्षण करवाया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

7– बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना बताते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि प्रकरण में परिवादिया सुविता व आहता रोशनी देवी ने घटना की ताईद नहीं की है, जिनका अभियुक्त के साथ राजीनामा हो चुका है। धारा 341, 323 भा.दं.सं. में राजीनामा तस्दीक किया गया है। गवाहान पी.ड.1 राजेन्द्र, पी.ड.2 सुविता व पी.ड.3 श्रीमती रोशनी देवी पक्षद्रोही घोषित रहे हैं, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादिया को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए सार्वजनिक

Authenticate Document

दृष्टिगोचर वाले स्थान पर तंग करने के इरादे से डराया धमकाया तथा जातिसूचक शब्दों से गालियां निकालकर अपमानित कर उनके साथ ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) में विनिर्दिष्ट हो, ऐसी कोई प्रमाणित साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। सुना गया पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु अग्रलिखित प्रश्नों पर विचार करना है:–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 23–05–2023 को सुबह 7:00 बजे या उसे लगभग ग्राम भगलो में परिवादिया व उसकी सांस को अनुसूचित जाति का होना जानते हुए सार्वजनिक दृष्टिगोचर वाले स्थान पर तंग करने के इरादे से डराया धमकाया तथा जातिसूचक शब्दों से गालियां निकालकर अपमानित कर उनके साथ ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) में विनिर्दिष्ट है ?**

2. **यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा?**

8– विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का परिशीलन कर विवेचन करें तो पी.डब्ल्यू.2 सुविता (परिवादिया) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर यह प्रकरण दर्ज होकर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

9– उक्त परिवादिया गवाह पी.ड.2 सुविता ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दो साल पहले उसके साथ कोई बात नहीं हुई थी। पूजा ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई गाली गलौच की। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित रही है तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में प्रदर्श पी–2 लिखित रिपोर्ट पर ए से बी भाग में स्वयं के हस्ताक्षर होने, जिसके आधार पर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3 होकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पुलिस द्वारा स्वयं के घर के सामने आकर बनाये जाने का अवश्य कथन करती है, किन्तु परिवादिया स्वयं द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में अभियुक्त पूजा द्वारा स्वयं को

Authenticate Document

धाणकी, ढेडनी, चूड़ी की गालियां निकालने की बात से लिखवाये जाने से इन्कार किया है। गवाह स्वयं का अभियुक्त के साथ राजीनामा होने के तथ्य को स्वीकार करती है।

10– गवाह पी.ड.3 श्रीमती रोशनी देवी जिसको अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में चक्षुदर्शी एवं आहत के रूप में परिक्षित कराया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दो साल पहले उसके साथ कोई बात नहीं हुई थी, ना ही उसको रोककर मारपीट की थी। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित रही है। प्रतिपरीक्षण में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग स्वयं द्वारा पुलिस केा नहीं बताये जाने का कथन करती है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

11– गवाह पी.ड.1 राजेन्द्र का अपने मुख्य परीक्षण में कथन रहा है कि कितने साल पहले की बात है, उसे पता नहीं। उसने कोई झगड़ा नहीं देखा और ना ही उसे झगड़े के बारे में कुछ मालूम है। किसने किसके साथ मारपीट की, उसे पता नहीं। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित रहा है। प्रतिपरीक्षण में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग स्वयं द्वारा पुलिस केा नहीं बताये जाने का कथन करता है। साथ ही गवाह स्वयं द्वारा किसी के साथ मारपीट करते हुए एवं जातिगत गालियां निकालते हुए सुनने तथा देखने से इन्कार किया है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

12– इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य जिसका समग्र विवेचन पूर्व में किया गया है, के मुताबिक प्रकरण में अहम गवाह परिवादिया सुविता पी.ड.2 व आहता/मजरूब पी.ड.3 पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित रही है। उक्त दोनों ही गवाहान अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में दो साल पूर्व स्वयं के साथ कोई भी बात नहीं होने एवं अभियुक्त पूजा द्वारा स्वयं को गाली गलौच करने से इन्कार करती हैं। उक्त दोनों ही गवाहान द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य एवं जिरह में अभियुक्त द्वारा स्वयं को अनुसूचित जाति की सदस्य होना जानते हुए उनके साथ सार्वजनिक दृष्टिगोचर वाले स्थान पर अपमानित करने के आशय से डराने धमकाने एवं जातिसूचक गालियां निकालने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। उक्त दोनों ही गवाहान द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य एवं जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे

Authenticate Document

अभियोजन कहानी का समर्थन होता हो। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.1 राजेन्द्र भी पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित रहा है, जिसके द्वारा भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है।

13– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि परिवादिया व उसकी सांस को अनुसूचित जाति का होना जानते हुए सार्वजनिक दृष्टिगोचर वाले स्थान पर तंग करने के इरादे से डराया धमकाया तथा जातिसूचक शब्दों से गालियां निकालकर अपमानित कर उनके साथ ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) में विनिर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त प्रकरण में दौराने विचारण परिवादिया सविता व आहता रोशनी देवी एवं मुलजिम के मध्य धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता के तहत राजीनामा होकर तस्दीक हो चुका है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण बिन्दू संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

14– अतः अभियुक्त पूजा को बरूवे राजीनामा धारा 341, 323 सपठित 34 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अपराध धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

15– अतः अभियुक्त पूजा पत्नी नरेश कुमार निवासी भगेला पुलिस थाना सिद्धमुख जिला–चूरू (राज.) को मजरूब देशराज की हद तक अपराध धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता में बरूवे राजीनामा एवं अपराध धारा 3(1)(r)(s),3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अपराध आदि किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आहत को प्रतिकर दिलाये जाने की अभिशंषा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त धारा 437 ए द0 प्र0 सं0 के तहत् पच्चीस हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावें कि अपीलीय या उच्चतर न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वह उपस्थित होगा। अभियुक्त के नियमित पेशी बाद

Authenticate Document

प्रस्तुत जमानत मुचलके (धारा 437 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत मुचलकों से भिन्न) निरस्त किये जाते हैं।

(कमल सोनी)

16– निर्णय आज दिनांक 19–06–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(कमल सोनी)

MAHESH KUMAR BOHRA

Digitally signed by MAHESH KUMAR BOHRA
Date: 2026.06.19 12:59:20 +0530

Authenticate Document